न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी / अपीलार्थी

1. श्रीमती पारुदेवी पत्नि श्री तेज भारती, जाति- गोस्वामी, निवासी- मगरीवाडा, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही
2. श्रीमती तलसीबाई पुत्री श्री तेज भारती, जाति- गोस्वामी, निवासी- मगरीवाडा, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी / प्रत्यर्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला- सिरोही
2. श्री अर्जुन भारती पुत्र श्री तेज भारती, जाति- गोस्वामी, निवासी- मगरीवाडा, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही
3. श्री बलदेव भारती उर्फ बकू पुत्र श्री तेज भारती, जाति- गोस्वामी, निवासी- मगरीवाडा, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही

प्रार्थना पत्र संख्याः 42/2020

''प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम''

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, प्रार्थी अपीलार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री दिनेश सुराणा, अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या-3 (तीन) की ओर से
3. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या- 1 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 14 जून, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी अपीलार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम मगरीवाडा, पटवार हल्का मगरीवाडा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 314 दिनांक 30.11.1978 व नामान्तरकरण संख्या 2363 दिनांक 25.5.2018 के विरुद्ध अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रत्यर्थी/अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या-1 (एक) की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या- 3 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश सुराणा उपस्थित हुये। जबकि अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या- 2 को सम्मन/नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या-2 उपस्थित नही हुआ। प्रकरण में अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या-3 की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब भी प्रस्तुत हुआ।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की [illegible] आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम मगरीवाडा, पटवार हल्का [illegible] 13/1370 में

पेज दो

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.27 18:05:55 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

रकबा 15 बीघा भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पति/पिता तेज भारती पुत्र सुजा भारती, जाति- गोस्वामी के खातेदारी की आई हुई है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पति/पिता तेज भारती पुत्र सुजा भारती की मृत्यु के बाद उनके पीछे उनकी पत्नी पारुदेवी व पुत्री तलसी बाई एवं पुत्र अप्रार्थी संख्या 2 व 3 जीवित उत्तराधिकारी है। हिन्दू उत्तराधिकार के तहत पति/पिता की सम्पति में पत्नी व पुत्री का भी समान रुप से बराबर हक हिस्सा होता है एवं पत्नी व पुत्री भी प्रथम श्रेणी की वारिसदार होती हे। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पति/पिता तेज भारती पुत्र सुजा भारती की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नामान्तरकरण प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में दायर कर स्वीकृत किया जाना चाहिये था, लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने राजस्व कार्मिकों व अधिकारियों से मेल मिलाप कर श्री तेज भारती पुत्र सुजा भारती की उक्त खातेदारी कृषि भूमि का स्वयं के नाम से उत्तराधिकार का नामान्तरकरण दायर करवाकर स्वीकृत करवा लिया। प्रार्थीगण अनपढ व अंगूठा छाप महिलायें है जो अपने पुत्र व भाई के विश्वास में रही कि उनके पति/पिता तेज भारती की मृत्यु के बाद उक्त खातेदारी कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के साथ साथ प्रार्थीगण का नाम भी उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया होगा, लेकिन उत्तराधिकार का नामान्तरकरण प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम से दर्ज नही करवाकर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने स्वयं के नाम से दर्ज करवाकर तहसीलदार, रेवदर से स्वीकृत करवा लिया। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को सर्वप्रथम दिनांक 05.10.2020 को हल्का पटवारी मगरीवाडा के पास राजस्व जमाबन्दी की नकल लेने हेतु जाने पर हुई कि प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज नही हुआ है। तब उसी दिन प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी से नकल प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर बिना किसी देरी के जानकारी तिथि से अन्दर मियाद अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थी अपीलार्थीगण की कोई बदनियति या लापरवाही नही रही है। अपीलार्थीगण अनपढ एवं ग्रामीण परिवेश की महिलायें है जिन्हें कानून की जानकारी नही है एवं वे अपने पुत्र/भाईयों के विश्वास में रही कि उनके पति/पिता तेज भारती पुत्र सुजा भारती की मृत्यु के बाद उनका नाम भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया होगा। इस कारण अपील पेश करने में देरी हुई है। अत: प्रार्थी अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-3 के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि खसरा संख्या 13/370 की कृषि भूमि बलदेव भारती के स्वतंत्र कब्जे खातेदारी की कृषि भूमि है। श्री तेज भारती पुत्र सुजा भारती की मृत्यु के बाद उनकी कृषि भूमि का नामान्तरकरण विधिक रुप से अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में दायर होकर स्वीकृत हुआ है। तेज भारती की मृत्यु हुये 45 वर्ष से अधिक समय हो गया है। प्रार्थीगण को तेज भारती की मृत्यु के बाद उनकी कृषि भूमि के संबंध में दायर होकर स्वीकृत हुये नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 05.10.2020 को होने का कथन गलत है। प्रार्थीगण को प्रारम्भ से ही अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण दायर होने की जानकारी है, लेकिन प्रार्थीगण ने पूर्व में कभी कोई कार्यवाही नही की है। अप्रार्थी संख्या 3 के पास खसरा संख्या 13

....पेज तीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.27 18:05:55 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

की कृषि भूमि का विभाजन वर्ष 2018 में हुआ है। खसरा संख्या 13/370 की कृषि भूमि का रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा है, जो अप्रार्थी संख्या 3 के कब्जे खातेदारी की कृषि भूमि है। यह कि प्रार्थी अपीलार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अपील प्रस्तुत करने में कितने वर्षो की देरी हुई है, यह नही दर्शाया है एवं न ही इस विलम्ब की अवधि के संबंध में दिन प्रतिदिन के विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण दर्शाया है, जबकि जहां अपील प्रस्तुत करने में देरी होती है, वहां विलम्ब की अवधि के प्रत्येक दिन का कारण दर्शाना आवश्यक होता है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या-2 के सिखावे में आकर बदनियति पूर्वक अपील प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण की अपील मियाद बाहर है एवं अपील प्रस्तुत करने में देरी का कोई माकुल कारण व आधार प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में नही दर्शाया है। अप्रार्थी संख्या-3 के वकील ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त 2022(1)DNJ SC Page 436 & 2022(1) DNJ (Raj.) Page 256 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीगण ने अपील प्रस्तुत करने में लापरवाही बरती है एवं 43 वर्ष की अवधि के बाद इस न्यायालय में प्रश्नगत नामान्तरकरणों को निरस्त कराने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है जो अत्यधिक देरी से प्रस्तुत की गई है, जिसे कन्डोन किया जाना किसी भी रुप से न्याय संग नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या-3 के अधिवक्ता के कथनो के जवाब में प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि किसी भी व्यक्ति को मियाद बिन्दु के आधार पर उसके हक अधिकारों से वंचित नही किया जा सकता है। जहां मौलिक अधिकारों का हनन होता है, वहां पर मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है। अप्रार्थी संख्या-3 के अधिवक्ता ने प्रार्थीगण के जवाब के कथनों के संबंध में बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि यदि प्रार्थीगण का उक्त कृषि भूमि में कोई हक अधिकार है तो उसे सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अपने अधिकारों को तय करवाना चाहिये।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम मगरीवाडा, पटवार हल्का मगरीवाडा के खसरा संख्या 13/1370 रकबा 15 बीघा भूमि के खातेदार तेजा पुत्र सुजा जी, निवासी- मगरीवाडा की मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि के संबंध में हल्का पटवारी, मगरीवाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 314 दायर किया गया, जिसे तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 30.11.1978 को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में स्वीकृत किया गया है। तत्पश्चात् उक्त कृषि भूमि का अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के मध्य आपसी सहमति से बंटवाड होने पर आपसी सहमति के बंटवाड का नामान्तरकरण संख्या 2363 दर्ज हुआ, जो दिनांक 25.5.2018 को स्वीकृत हुआ। प्रकरण में तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम मगरीवाडा, पटवार हल्का मगरीवाडा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 314 दिनांक 30.11.1978 एवं आपसी बंटवाड के स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण संख्या 2363 दिनांक 25.5.2018 के विरुद्ध प्रार्थी अपीलार्थीगण द्वारा अपील इस न्यायालय में दिनांक 14.10.2020 को प्रस्तुत की गई है, जो विलम्ब से प्रस्तुत की गई [illegible] अपीलार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में उक्त नामान्तरकरणों के विरुद्ध [illegible] 20 को [illegible]री होना अंकित किया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रा[illegible] के संबंध में प्रार्थी पारुदेवी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.27 18:05:55 IST
Reason: SelfAttested

....पेज चार

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है, जिसके विपरित कोई काउन्टर शपथ पत्र अप्रार्थी बलदेव भारती की ओर से प्रस्तुत नही किया गया है। अप्रार्थी बलदेव भारती की ओर से ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही हुई है जिससे यह साबित हो सके कि प्रार्थी अपीलार्थीगण को उक्त नामान्तरकरणों के संबंध में पूर्व से ही जानकारी हो। अप्रार्थी बलदेव भारती की ओर से ऐसी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही हुई है जिससे यह साबित हो सके के प्रार्थी अपीलार्थीगण ने जानबूझकर एवं बदनियति पूर्वक अपील विलम्ब से प्रस्तुत की हो। यह भी उल्लेखनीय है कि मियाद की अवधि आदेश की जानकारी तिथि से प्रारम्भ होती है, न कि आदेश की तारीख से प्रारम्भ होती है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाना उचित पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब की अवधि को कन्डोन नही किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.27 18:05:55 IST
Reason: SelfAttested